कृषि महाविद्यालय, भरतपुर

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर)

डा0 स्वरूप सिंह
अधिष्ठाता

Tel- 9413330548
Email- dean.coabharatpur@sknau.ac.in

क्र.सं. फ.( )/कृ.म.भ./2020/भंडार शाखा/सीमित निविदा/7720 दिनांक– 03.02.2020

सीमिति निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय (कुम्हेर) भरतपुर में वर्ष 2019–20 में महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न कार्यालय कार्य हेतु आवश्यकतानुसार जाने के लिए बोलेरो/हैचबैक/सेडान माडल के टैक्सी वाहन की आवश्यकता है । इस कार्य पर वित वर्ष 2019–20 में अनुमानित व्यय लगभग ₹ 50000/– होगा ।

इस कार्य हेतु टैक्सी वाहन मालिक/फर्म अपने वाहन का किराया राशि प्रति किलोमीटर की दर से न्यूनतम 100 कि.मी. या अधिक दूरी तक प्रति दिन की राशि सहित बन्द लिफाफे में निविदाएं दिनांक 10.02.20220 को 11.0 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय (कुम्हेर) भरतपुर में भेजने का श्रम करें । निविदा उसी दिन दोपहर 12.0 बजे तक निविदा समिति व उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय (कुम्हेर) भरतपुर में खोली जावेंगी । यह दर संविदा एक साल तक प्रभावी रहेंगी जिसे आपसी सहमति से आवश्यकता होने पर नियमानुसार बढायी जा सकेगी । निविदा समिति द्वारा स्वीकृत वाहन मालिक को वाहन की आवश्यकता होने पर सामान्यतः एक दिन पूर्व या आकस्मिक सूचना कर दी जाएगी जिसके तहत वाहन मालिक को वाहन की व्यवस्था करनी होगी ।

शर्तें :–

1. वाहन का किराया बिल पास होने पर ही भुगतान किया जाएगा ।
2. वाहन से संबंधित सभी कर (टोल टैक्स, पार्किंग, एवं अन्य खर्चे) टैक्सी वाहन मालिक को ही वहन करने होंगे ।
3. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
4. निविदादाता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।
5. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा ।
6. वाहन आल राजस्थान टैक्सी परमिट होना आवश्यक है ।
7. वाहन मालिक को एसी व नॉन एसी का किराया प्रति किलोमीटर अलग–अलग देना होगा ।
8. वाहन का टैक्सी परमिट व चालक व चालक का फिटनेस व प्रदूषण, बीमा आदि होना आवश्यक है ।
9. वाहन का पंजीयन जहां तक हो 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, नवीन वाहन को प्राथमिकता दी जाएगी।
10. भ्रमण के दौरान अकस्मात किसी भी घटना की स्थिति में वाहन चालक एवं वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए वाहन मालिक/निविदादाता ही पूर्ण जिम्मेदार होगा ।
11. आर.टी.ओ. संबंधित किसी भी तरह के खर्चे वाहन मालिक को स्वयं वहन करने होंगे ।
12. निविदा को निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होंगे ।

अधिष्ठाता 3/2/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
2. श्रीमान कुल सचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
4. श्रीमान कोषाधिकारी श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
5. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/.....
6. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त सूचना पट्ट।
8. रक्षित फाइल

अधिष्ठाता 3/2/20